तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म तामील नंबर व तारीख
	दिनांक 25/4/17 ओ.प्र. लापोद उपस्थित । आज पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश पर पधारे हुए है अतः पेशी [illegible] होकर पत्रावली आयंदा दिनांक 29/5/17 पेश हो । रीडर, उपखण्ड न्यायालय, सुमेरपुर दिनांक 1/5/17 पक्षकारान/वकील/ उपस्थित । राज्य सरकार एवं श्रीमान जिला कलेक्टर, पाली के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के अटल सेवा केन्द्र पर [illegible] अदालत शिविर का आयोजन रखा गया है, [illegible] विचाराधीन व नवीन [illegible] अदालत की भावना के तहत पक्षकारों के [illegible] मेरिट के आधार पर [illegible] । अतः [illegible] को नोटिस द्वारा सूचित किया जा [illegible] अदालत केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय [illegible] लापोद पर आयंदा दिनांक 27/6/17 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर (पाली) **राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017** राजस्व विविध सं. 27/2016 रामा बनामः नेना वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,1955 एवं सपठित आदेश-39, नियम-1 व 2 सी.पी.सी. ——— **दिनांक 27.06.2017** यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प-अटल सेवा केन्द्र लापोद में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की भावना के अनुरूप सुलभ न्याय हेतु पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले में वर्णित वाद-विषयक स्थिति एवं साक्ष्य-दस्तावेजात पर मनन व विचारण करने के पश्चात् हमारी विधिक राय है कि सरहद मौजा बडगांवडा पटवार सर्कल लापोद तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 499 रकबा 0.21 हेक्टर, खसरा नं. 496 रकबा 1.32 हेक्टर, खसरा नं. 846 रकबा 1.68 हेक्टर, खसरा नं. 502 रकबा 0.72 हेक्टर व खसरा नं. 843 रकबा 0.01 हेक्टर के बारे में वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति को संबंधित मूल राजस्व वाद सं. 27/2016 के निस्तारण होने तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझते है। लगातार- उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर (पाली)	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म तामील नंबर व तारीख

राजस्व लोक अदालत कैम्प वर्ष-2017

राजस्व विविध सं. 27/2016 राणा बनाम पेमा वगैरा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.1955 एवं पठित
आदेश 39 नियम-1 व 2 सी.पी.सी.

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के कतिपय प्रावधान के तहत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बड़गावड़ा पटवार सर्कल लापोद तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 499 रकबा 0.21 हेक्टर, खसरा नं. 496 रकबा 1.32 हेक्टर, खसरा नं. 846 रकबा 1.68 हेक्टर, खसरा नं. 502 रकबा 0.72 हेक्टर व खसरा नं. 843 रकबा 0.01 हेक्टर के बारे में वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति को संबंधित मूल राजस्व वाद सं. 27/2016 के निस्तारण होने तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। उक्त आदेश से दोनों पक्षकारान पाबंद रहेंगे, सूचित रहे।

यह आदेश राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र नेतरा में बरोज आज दिनांक 16.06.2017 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो व संबंधित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 27/2016 के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर (पाली)

21

Scanned by CamScanner